प्रेस विज्ञप्ति
27.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने प्रमोद कुमार सिंह व अन्य के मामले में चल रही जांच के संबंध में 25.03.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आदित्य नारायण सिंह की पत्नी श्रीमती रमापति देवी से संबंधित 1.42 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसमें एक दो मंजिला घर और उससे संबंधित भूमि शामिल है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड और अन्य अधिकारियों द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के फंड से 6.97 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया गया। आरोपी प्रमोद कुमार सिंह, जो ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, ने कथित तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, झरिया-सह-जोड़ापोखर, धनबाद के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी शशि भूषण प्रसाद (अब मृतक) के साथ साजिश में गबन किया। पीएमएलए के तहत बाद की जांच में कुल 9.39 करोड़ रुपये के गबन का पता चला है।

इससे पहले, 04.07.2024 और 19.09.2024 को प्रमोद कुमार सिंह और उनके सहयोगियों से जुड़े कई परिसरों पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान, चार महंगे वाहन जब्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 30.08.2024 को 1.63 करोड़ रुपये की एक अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। वर्तमान कुर्की के साथ, इस मामले में जब्त या कुर्की की गई संपत्तियों का संचयी मूल्य अब 3.5 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

इसके अलावा, प्रमोद कुमार सिंह को ईडी, रांची जोनल कार्यालय द्वारा 18.02.2025 को धन-शोधन से संबंधित अपराधों के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जांच जारी है।